न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, RAS.
पत्रावली संख्या : 69/24 (विविध प्रार्थना पत्र)
जीसीएमएस नम्बर : 2024/285

1. श्री गोवर्धनलाल पिता श्री रामलाल भील, आयु वयस्क, निवासी नाहरमगरा, तह. घासा, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती गीतादेवी पत्नि जगदीश भील, आयु वयस्क, निवासी नाहरमगरा, तह. घासा, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती पुष्पा पत्नि गोवर्धन भील, आयु वयस्क, निवासी नाहरमगरा, तह. घासा, जिला उदयपुर (राज.)
4. सोहन भील पिता बाबरू भील, आयु वयस्क, निवासी नाहरमगरा, तह. घासा, जिला उदयपुर (राज.)

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती अम्बुडी बाई पत्नी गांगा भील, आयु वयस्क, निवासी विकरनी, तह. घासा, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्री चुन्नीलाल पिता पन्नालाल भील, आयु वयस्क, निवासी विकरनी, तह. घासा, जिला उदयपुर (राज.)
3. नकारी बाई पुत्री श्री लोगर भील, आयु वयस्क, निवासी विकरनी, तह. घासा, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्री नाना पिता लिम्बा भील, आयु वयस्क, निवासी विकरनी, तह. घासा, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती नानीबाई पत्नी लोगर भील, आयु वयस्क, निवासी विकरनी, तह. घासा, जिला उदयपुर (राज.)
6. श्री पुष्कर पिता लालुराम भील नाबालिग जरिये संरक्षक माता श्रीमती रोडकी बाई भील, आयु वयस्क, निवासी विकरनी, तह. घासा, जिला उदयपुर (राज.)
7. पुष्पा पिता लालुराम भील, आयु वयस्क, निवासी विकरनी, तह. घासा, जिला उदयपुर (राज.)
8. मांगीबाई पिता गांगा भील, आयु वयस्क, निवासी विकरनी, तह. घासा, जिला उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:48:07 IST
Reason: SelfAttested

9. श्रीमती मांगीबाई पत्नी कालु भील, आयु वयस्क, निवासी विकरनी, तह. घासा, जिला उदयपुर (राज.)
10. श्री मोहनलाल पिता गांगा भील आयु वयस्क, निवासी विकरनी, तह. घासा, जिला उदयपुर (राज.)
11. श्री रामलाल पिता लोगर भील, आयु वयस्क, निवासी विकरनी, तह. घासा, जिला उदयपुर (राज.)
12. श्रीमती रोडकी बाई पत्नी लालुराम भील, आयु वयस्क, निवासी विकरनी, तह. घासा, जिला उदयपुर (राज.)
13. श्रीमती रोडीबाई पत्नी कालु भील, आयु वयस्क, निवासी विकरनी, तह. घासा, जिला उदयपुर (राज.)
14. श्री रोशनलाल पिता पन्नालाल भील, आयु वयस्क, निवासी विकरनी, तह. घासा, जिला उदयपुर (राज.)
15. श्री लालुराम पिता कालु भील आयु वयस्क, निवासी विकरनी, तह. घासा, जिला उदयपुर (राज.)
16. श्री वालु पिता कालु भील, आयु वयस्क, निवासी विकरनी, तह. घासा, जिला उदयपुर (राज.)
17. श्री सुरेश पिता कालु भील, आयु वयस्क, निवासी विकरनी, तह. घासा, जिला उदयपुर (राज.)
18. श्री सोहनलाल पिता गांगा भील, आयु वयस्क, निवासी विकरनी, तह. घासा, जिला उदयपुर (राज.)
19. श्री भानुशंकर पिता खेमा भील, आयु वयस्क, निवासी छापरा, विजनवास, जिला उदयपुर (राज.)
20. राज्य जरिये तहसीलदार साहब मावली, तह. मावली (घासा) जिला उदयपुर (राज.)

.....विपक्षीगण

उपस्थित :– 1. श्री नरेश डांगी, अधिवक्ता प्रार्थीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:48:07 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक : 30.01.2025

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि हम प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 से 18 स्वत्व, हित की सह खातेदारी आधिपत्य की कृषि भूमि मोजा विकरनी, पटवार हल्का विजनवास, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खेमली, तह. घासा, जिला उदयपुर (राज.) में स्थित होकर राजस्व अभिलेखों की नई खतौनी संख्या 300 पुरानी खतौनी संख्या 280 पर इन्द्राज होकर जिसके हाल आराजी नम्बर 428 रकबा 0.5827, 429 रकबा 0.0162, 430 रकबा 0.0162, 431 रकबा 0.0809, 432 रकबा 0.0567, 433 रकबा 0.2185, 434 रकबा 0.1619, 435 रकबा 0.2590, 436 रकबा 0.0243, 437 रकबा 0.4371, 438 रकबा 0.0486, 439 रकबा 0.2266, 440 रकबा 0.1700 441 रकबा 0.1781, 442 रकबा 0.0243 कुल किता 15 कुल रकबा 2.5011 हैक्टेयर कृषि भूमि है। इसी तरह विपक्षीगण संख्या 19 के स्वत्व, हित, आधिपत्य की भूमि मौजा विकरनी, पटवार हल्का विजनवास, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खेमली, तह. घासा, जिला उदयपुर में स्थित होकर राजस्व अभिलेखों की नई खतौनी संख्या 401 पुरानी खतौनी संख्या 281 पर इन्द्राज होकर जिसके हाल आराजी नम्बर 1885/1784 रकबा 0.6646 है।
2. यह कि मौजा विकरनी पटवार हल्का, विजनवास, तह. घासा, जिला उदयपुर में स्थित अतिप्राचीन मंदिर श्रृंगऋषि आश्रम तक जाने का मुख्य रास्ता जो वर्तमान में डामरीकृत है जिसके आराजी नम्बर 1717/425 है, उक्त रास्ते से लगा हुआ एक रास्ता जो विकरनी से होता हुआ नउवा ग्राम पंचायत की भूमि से जुडता है जो वर्तमान में हाडीमाता मंदिर तक जाता है, जिसकी राजस्व अभिलेखों में अर्थात रेवेन्यु नक्शे में जो तरमीम की गई है वह विद्यमान रास्ते से अलग होकर तात्कालिक पटवारी साहब द्वारा चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिये की गई तरमीम है, जो नउवा की ओर से आने वाले एक जल प्रवाह मार्ग पर कर दी गई है जिसका भविष्य में भी नक्शे के अनुरूप मार्ग बनाया जाना असंभव है। साथ ही उक्त तरमीम उंची पहाडी पर कर दी गई है जो भी विद्यमान रास्ते से पृथक है।
3. यह कि विपक्षीगण संख्या 19 भी रास्ते की गलत तरमीम से भारी प्रभावित है। विपक्षीगण संख्या 19 की भूमि पूर्व की आवंटनशुदा भूमि है जिसकी तरमीम मौके के आधिपत्य से पृथक कर दी गई है साथ ही नाले के उपर कर दी है जिससे रास्ते की तरमीम शुद्धि की जाती है तो विपक्षी संख्या 19 की भूमि की तरमीम शुद्धि भी मौके के अनुरूप होगी जिससे विपक्षी संख्या 19 के साथ भी न्याय हो सके इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए विपक्षी संख्या 19 को आवश्यक पार्टी के रूप मे संयोजित किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:48:07 IST
Reason: SelfAttested

4. यह कि रास्ते की तरमीम में की गई भूमि जिसका उल्लेख प्रार्थना पत्र में किया गया है जिसके कारण मौके पर आये दिन विवाद बना रहता है एव हम प्रार्थीगण को जिससे भारी मानसिक क्षति पहुंच रही है मौके के अनुरूप तरमीम को दुरूस्त किया जाकर राजस्व अभिलेखों में अर्थात नक्शे में तरमीम किया जाना न्याय हित में नितान्त आवश्यक है।

5. यह कि हम प्रार्थीगण के सह खातेदारी आधिपत्य की भूमि जो वर्तमान में राजस्व अभिलेखों में हम प्रार्थीगण के नाम बतौर सह खातेदार काश्तकार इन्द्राज है जिस पर आने जाने हेतु कदीम से चले आ रहे रास्ते का हम उपयोग उपभोग करते है साथ ही उक्त रास्ते का उपयोग हम गौ चारण हेतु करते है परन्तु उक्त रास्ते को चंद लोगों द्वारा पत्थर डालकर बाधित कर दिया गया है व जबरन गलत तरमीम वाले रास्ते को खोलना चाहते है जिससे आवारा पशु हमारी कृषि भूमियों में घुसने लगे है और हमारी फसलों को क्षति कारित कर रहे है। हम गरीब काश्तकार है पक्की चार दीवारी बनाना हमारे लिये संभव नहीं है जिससे दिनांक 13.07.2024 के दिवस कुछ भू माफियाओं ने उक्त गलत दर्ज रास्ते को जेसीबी से बनाना चाहा तो विरोध करने पर कहा कि यह राजस्व अभिलेखों में दर्ज है तुम इसे बंद नहीं कर सकते जिससे व्यथीत हो अविलम्ब उक्त प्रार्थना पत्र आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है जिस कारण प्रार्थना पत्र दिनांक 13.07.2024 को उत्पन्न हुआ जिससे अविलम्ब उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय आप श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

6. प्रार्थना पत्र के अन्त में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौके पर कदीम से चले आ रहे रास्ते की भौतिक स्थिति के अनुसार नक्शा ट्रेस में रास्ते की तरमीम को पैमुद किया जाने एवं पूर्व के त्रुटिपूर्ण इन्द्राज को दुरूस्त किये जाने का आदेश फरमाने हेतु निवेदन किया।

7. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी संख्या 1 से 19 के विरूद्व कोई अनुतोष नहीं चाहने से इनके विरूद्व कार्यवाही को इसी स्तर पर ड्रोप किया जाने का निवेदन किया। अतः विपक्षी संख्या 1 से 19 के विरूद्व कार्यवाही ड्रोप की गई। प्रकरण में विपक्षी संख्या 20 द्वारा रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि रिपोर्ट पटवारी हल्का विजनवास अनुसार राजस्व ग्राम विकरणी वर्तमान ऑनलाईन जमाबन्दी सम्वत् 2077—80 के खाता संख्या 1 में खसरा संख्या 1717/425 रकबा 0.4028 हेक्टेयर किस्म रास्ता एवं खसरा संख्या 1741/427 रकबा 0.6062 हेक्टेयर किस्म रास्ता जो कि खाता [illegible] 352 में बिलानाम गैर काबिल काश्त पुत्र हिस्सा पूर्ण बिलानाम गैर काबिल काश्त [illegible] रिकॉर्ड भूमि हैं। राजस्व ग्राम विकरणी के मूल आराजी नम्बर 427 मीन में से 5 बीघा भूमि धर्मा पिता लिम्बा जाति

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:48:07 IST
Reason: SelfAttested

भील निवासी विकरणी को 23 जनू 1989 को आंवटन हुई। जिसके हाल खसरा नम्बर 1875/1784, 1783/1587 एवं 1876/1784 हैं। उक्त भूमि खसरा संख्या 1741/427 का राजस्व रिकार्ड में अंकन दिनांक 23.11.2022 को माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय मावली जिला उदयपुर के आदेश क्रमांक राजस्व/रास्ता/2021/223 दिनांक 26.07.2022 की पालना में हुआ। आराजी नम्बर 1741/427 रकबा 0.6062 हेक्टेयर किस्म रास्ता भूमि की तरमीम आंशिक भाग अस्थाई एनिकट एवं उसके जल भराव क्षेत्र के उपर से हैं। नक्शे अनुसार पहाड, एनिकट एवं जल भराव क्षेत्र/भूमि से होता हुआ नक्शें में रास्ता तरमीम किया हुआ है जबकि मौके पर रास्ता तरमीम अनुसार नहीं है मौके पर समीप में ही बने मौजूद रास्ते का उपयोग किया जा रहा है। जो श्रृंगी महादेव वाले रास्ते से शुरू होकर राजस्व ग्राम नउवा की ओर मौके पर जा रहा हैं। जो कि मूल खसरा नम्बर 427/3 के मध्य से होकर गुजर रहा है। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि मौके अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे तो आमजन को कोई आपत्ति/ऐतराज नहीं हैं। मौका अनुसार रास्ता राजस्व ग्राम विकरणी के वर्तमान खसरा संख्या 1874/1743 रकबा 7.8000 हेक्टेयर किस्म पहाड में से गुजर रहा है। इसका क्षेत्रफल भी 0.6062 हेक्टेयर हैं। उक्त रास्ते के आराजी नम्बर 1741/427 एवं मूल खसरा संख्या 427/3 जिसके हाल खसरा संख्या 1875/1784, 1783/1587, 1876/1784 की मौके अनुसार तरमीम तरमीम संलग्न प्रस्तावित परिशिष्ट सी के अनुसार नियमानुसार शुद्ध किया जाना अपेक्षित है। राजस्व रिकार्ड में दर्ज रास्ते के आराजी नम्बर 1741/427 के क्षेत्रफल 0.6062 हेक्टेयर एवं तरमीम हेतु प्रस्तावित रास्ते के क्षेत्रफल 0.6062 में अन्तर नहीं हैं। क्षेत्रफल पूर्वानुसार हैं। तहसीलदार घासा द्वारा रिपोर्ट के साथ रिपोर्ट पटवारी हल्का मय मौका पर्चा एवं दस्तावेज संलग्न किये।

8. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व राजपेरोकार की बहस पर मनन किया। दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के तथ्यों पर मनन् किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचें है कि मौजा विकरणी पटवार हल्का विजनवास तहसील घासा जिला उदयपुर के मूल आराजी नम्बर 427 मीन में से 5 बीघा भूमि धर्मा पिता लिम्बा भील निवासी विकरणी को आंवटन हुई। जिसके आराजी नम्बर 1875/1784, 1783/1587 एवं 1876/1784 दर्ज हुए। जिनकी तरमीम पृथक से नक्शा ट्रेस में कर रखी हैं। उसके पश्चात् आराजी नम्बर 427 मीन रकबा 13.6379 हेक्टेयर में से 0.6092 हेक्टेयर भूमि कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली द्वारा प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 में किस्म रास्ता दर्ज की गई। जिसकी तरमीम नक्शें में की गई। प्रार्थीगण का कथन है कि उक्त रास्ते की तरमीम जहां की गई है वहां मौके पर रास्ता नहीं है, इस संबन्ध में तहसीलदार घासा से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार द्वारा की रिपोर्ट अनुसार उपखण्ड अधिकारी मावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.07 14:48:07 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा दिये गये रास्ते के आराजी नम्बर 1741/427 रकबा 0.6062 हेक्टेयर किस्म रास्ता भूमि की तरमीम आंशिक भाग अस्थाई एनिकट एवं उसके जल भराव क्षेत्र के उपर से हैं। नक्शें अनुसार पहाड, एनिकट एवं जल भराव क्षेत्र से होता हुआ नक्शें में रास्ता तरमीम कर रखा हैं जबकि मौके पर रास्ता तरमीम अनुसार नहीं होकर समीप में ही बने मौजूद रास्ते का उपयोग किया जा रहा है। इस प्रकार तहसीलदार घासा की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि राजस्व नक्शे में की गई रास्ते की तरमीम मौके पर बने रास्ते से भिन्न हैं। इससे स्पष्ट है कि पूर्व में की गई तरमीम राजस्व कर्मचारियो द्वारा मौके पर बने रास्ते अनुसार प्रस्तावित नहीं की गई।

जो बारहमासी तथा मौसम ऋतुओ के अनुसार बदलते नहीं आमजन में जाने हेतु रास्ते उपलब्ध हैं ऐसे रास्तो को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131, 132 तथा राजस्थान भू. अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के अनुसार स्थायी रास्ता दर्ज करने की शक्तियां राज्य सरकार के अधिसूचना संख्या 3(ख) (12) राजस्व/उपनिवेश/73 दिनांक 08.11.1973 एस.ओ.102 द्वारा शर्त 8(2) की श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय की शक्तियां उपखण्ड अधिकारी को दी गई है। उक्त नियमों के तहत् उपखण्ड अधिकारी मावली द्वारा रास्ता कायम किया गया था केवल मात्र रास्ते की तरमीम मौके अनुसार नहीं हुई।

तहसीलदार घासा की रिपोर्ट एवं अनुशंषा जिसमें उन्होंने बताया कि पूर्व में दर्ज रास्ता मौके एवं नक्शे में भू–राजस्व नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के तहत मौके व नक्शें की भिन्नता को भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा सुधारा जा सकेगा। अतः पूर्व में राजस्व रेकर्ड में दर्ज रास्ता मौके अनुसार नही होने व गलत जगह पर तरमीम करके राजस्व कार्मिकों की भूल है, जिसको सुधारा जाना आवश्यक है। मौका पर्चा अनुसार रास्ता का उपयोग करने वाले सभी काश्तकारों ने सहमति प्रदान की गई है।

अतः आराजी नम्बर 1741/427 रकबा 0.6092 किस्म रास्ता कि तहसीलदार घासा द्वारा की गई अनुशंषानुसार मौके पर मौजूद वर्तमान रास्ते के अनुसार तरमीम किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

राजस्थान भू अधिनियम 1956 की धारा 67 में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी राजस्व न्यायालय अथवा अधिकारी जिसके द्वारा इस अधिनियम के तहत् कार्यवाही में आदेश दिया है, स्वयं अपनी प्रेरणा से अथवा किसी पक्षकार के आवेदन पत्र पर मुकदमें में किसी तात्विक भाग को प्रभावित न करने वाली भूल अथवा चूक को पक्षकारों को ऐसी सूचना देने के पश्चात् जैसा कि आवश्यक हो, सुधार सकेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:48:07 IST
Reason: SelfAttested

इस प्रकरण में भी राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम की धारा 131, 132 के तहत् रास्ता दिया गया था, परन्तु उक्त रास्ता मौके पर उपलब्ध अनुसार रिकार्ड में नहीं दिया गया हैं जिसको सुधाराजाना आवश्यक हैं। पूर्व में दिये गये रास्ते एवं वर्तमान में प्रस्तावित रास्ते के रकबे में किसी प्रकार का कोई अन्तर भी नहीं हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर भू राजस्व अधिनियम की धारा 67 के तहत् सुधाराजाना न्यायोचित पाया जाता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

:: आदेश ::

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा विकरणी पटवार हल्का विजनवास तहसील घासा जिला उदयपुर के आराजी नम्बर 1741/427 रकबा 0.6092 किस्म रास्ता की तरमीम मौके अनुसार तहसीलदार घासा द्वारा प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार किया जावें। प्रस्तावित नक्शा ट्रेस पत्रावली का अभिन्न अंग रहेगा। पालना हेतु तहसीलदार घासा को लिखा जाकर पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सरे ईजलास में सुनाया गया ।

(रमेश सीरवी पुनाडिया) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी मावली
जिला उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:48:07 IST
Reason: SelfAttested